(ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकृष्ट करने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं: औद्योगिक नीति के अनुबन्ध—III में सूचीबद्ध उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों, जिनमें पहले 35 उद्योग शामिल थे और अब इस सूची को बढ़ाकर इसमें 13 अतिरिक्त श्रेणियां भी शामिल कर दी गई हैं, में 51 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी के लिए स्वतः अनुमोदन; खनन गतिविधि से संबंधित उद्योगों/मदों की 3 श्रेणियों में 50 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी और उद्योगों/मदों की 9 श्रेणियों में 74 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी के लिए स्वतः अनुमोदन।

संशोधित दिशानिर्देशों के अन्तर्गत, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड/सरकार द्वारा एक बार प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिए जाने के बाद, कम्पनी के लिए आवक राशि प्राप्त करने और शेयरों का निर्गम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सिद्धांत रूप में पूर्वानुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी प्रकार, स्वतः अनुमोदन की प्रक्रिया के अन्तर्गत आने वाले प्रस्तावों के लिए भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिद्धांत रूप में पूर्वानुमति दिए जाने की अपेक्षा भी समाप्त कर दी गई है।

तरजीही शेयरों, भले वे मोचनीय हों या परिवर्तनीय, के माध्यम से किए जाने वाले विदेशी निवेशों के लिए भी दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए हैं।

1998-99 के बजट-अभिभाषण में ऐसी बाधारहित प्रक्रिया बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई जिसमें विदेशी निवेश के सभी प्रस्तावों पर 90 दिन की अवधि में निर्णय लिया जाएगा।

सार्वभौम निक्षेप प्राप्तियों (जी० डी० आर०)/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफ० सी०-सी० बी०) के जरिए भूमण्डलीय बाजार से सम्पर्क करने के मामले में भारतीय कार्पोरेटों को काफी स्वतंत्रता दी गई है। 22-5-98 को और अधिक आशोधनों की घोषणा की गई जिसमें अंतिम प्रयोग संबंधी प्रतिबन्धों में ढील दी गई और जी० डी० आर०/ए० डी० आर० इश्युओं के लिए 90 दिन की वैधता अवधि समाप्त की गई तथा असूचीबद्ध कम्पनियों को यूरो-इश्यू निर्गमित करने की अनुमति दी गई।

Report of Task Force on Recommendations of Tenth Finance Commission

1434. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Task Force constituted to look into the demands of States to get more than 29% of the revenue as recommended by the Tenth Finance Commission, has submitted its Report;

(b) what are the details of discussion and demands made at a recently held meeting at the Planning Commission under the Chairmanship of Rajasthan Chief Minister indicating whether any consensus was arrived by the States which attended the said meeting; and

(c) What action the Central Government have taken so far to help in solving financial crisis of State Governments?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) to (c) A Special Task Force (STF) has been constituted by Government of India to suggest measures for raising more resources by States and also regarding devolutions of additional financial powers to them.

STF has not been constituted specifically to look into the demands of the States for a higher share of Central Taxes than the 29% recommended by the Tenth Finance Commission (TFC).

The term of the STF has been extended upto 31.7.98. The STF have heard the views of many State Governments, but its deliberations are not over. STF has presented its first report to the Government of India. The final report is, however, yet to be submitted.

Losses suffered by Depositors due to Irregularities in NBFCs

1435. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the estimated loss suffered by depositors because of irregularities in non-banking financial companies during the last three years;

(b) whether in consultation with the Reserve Bank of India, legislative amendments are proposed to prevent the recurrence of such customer losses; and